दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर–273009 (उ0प्र0) भारत

पत्रांक : सम्बद्धता/2019/ .. 687 दिनांक : 31/05/2019

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक

....

.... ।

विषय– महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य एवं शिक्षकों का विवरण आनलाईन पूरित न करने वाले महाविद्यालयों को अंतिम अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी आनलाइन विवरण पूरित न करने पर चेतावनी के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन की मंशा एवं कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता / 2018 / 3814, दिनांक 17.01.2018 द्वारा दिनांक 25.01.2018 तक, पत्रांक सम्बद्धता / 2018 / 3940, दिनांक 27.01.2018 द्वारा दिनांक 10.02.2018 तक, पत्रांक सम्बद्धता / 2018 / 4020, दिनांक 19.02.2018 द्वारा दिनांक 06.03.2018 तक, पत्रांक सम्बद्धता / 2018 / 4274, दिनांक 22.03.2018 द्वारा दिनांक 15.04.2018 तक, पत्रांक सम्बद्धता / 2018 / 4385, दिनांक 20.04.2018 द्वारा दिनांक 05.05.2018 तक, पत्रांक सम्बद्धता / 2018 / 4598, दिनांक 25.06.2018 द्वारा दिनांक 05.08.2018 तक तथा पत्रांक सम्बद्धता / 2018 / 4787, दिनांक 03.08.2018 द्वारा दिनांक 31.08.2018 तक वि0वि0 से सम्बद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य एवं शिक्षकों का विवरण आनलाईन भरने के लिए समस्त महाविद्यालयों को पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय कुलपति जी ने सम्बद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य एवं शिक्षकों का विवरण आनलाईन अंकित करने हेतु अन्तिम तिथि को एक बार विस्तारित करते हुए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 31.08.2018 तक निर्धारित करने की स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की है कि जिन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि एवं आनलाईन विवरण अंकित नहीं किया जाता है तो, ऐसे महाविद्यालयों पर आगामी सत्र की सम्बद्धता समाप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी। स्ववित्तपोषित प्राचार्य परिषद के पदाधिकारियों, कुलपति जी एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक दिनांक 29.08.2018 की कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 2 पर निर्णय लिया गया कि "स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों से जो विवरण मांगा गया है उसकी तिथि 31 अगस्त, 2018 के स्थान पर 30 सितम्बर, 2018 बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।" इस तिथि के पश्चात यह अवधि किसी भी दशा में नहीं बढ़ायी जायेगी क्योंकि शासन द्वारा बार–बार शिक्षकों का विवरण मांगा जा रहा है।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार जिन महाविद्यालयों द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक विवरण आनलाईन पूरित नहीं किया गया है, उन महाविद्यालयों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने के प्रकरण पर व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए अंतिम अवसर दिनांक 08.01.2019 अपराह्न 12:30 बजे विश्वविद्यालय मुख्य परिसर स्थित संवाद भवन में निर्धारित की गयी थी।

<u>सुनवाई के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्न निर्णय लिया गया–</u>

1. **सुनवाई के दिन उपस्थित/अनुपस्थित महाविद्यालयों को महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य एवं शिक्षकों का विवरण आनलाईन पूरित न करने हेतु अंतिम अवसर दिनांक 15 फरवरी, 2019 निर्धारित किया गया है।**
2. **सुनवाई के दिन जो महाविद्यालय उपस्थित नहीं थे, उनको आगामी सत्र 2019–20 में सीट वृद्धि प्रदान नहीं किया जायेगा।**

उपर्युक्त निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता / 2019 / 114 दिनांक 24.01.2019 द्वारा सभी महाविद्यालयों को अंतिम अवसर प्रदान करने की सूचना प्रेषित की गयी थी। जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पूर्ण रूपेण प्राचार्य / शिक्षकों का विवरण आनलाइन पूरित नहीं किया गया है, उन महाविद्यालयों को कुलपति महोदय के आदेशानुसार यह चेतावनी दी जाती है कि **भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा जो भी विवरण/आख्या मांगा जायेगा, उसको समय से पूरित न करने की स्थिति में नियमानुसार महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।**

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रो0 अजय कुमार शुक्ला, मीडिया प्रभारी, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
2. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
3. प्रशासनिक अधिकारी, कुलपति कार्यालय, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. वैय0सहायक, कुलसचिव।
5. समस्त सम्मानित समाचार पत्रों के सम्पादकों को इस आशय से प्रेषित कि अपने समाचार पत्र में उक्त सूचना को निःशुल्क प्रसारित करने का कष्ट करें– आज, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, आई–नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत, स्वतन्त्र चेतना, टाईम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाईम्स आदि।

कुलसचिव